छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर दिनांक 5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20–66/2019/11–6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–16 तथा परिशिष्ट–6.16 के प्रावधानों के अनुरूप "दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान" को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2019** से **"छत्तीसगढ राज्य दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1– **परिचय :–**

राज्य में दिव्यांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा निजी क्षेत्र में दिव्यांगों को अधिकाधिक स्थायी नौकरी प्रदान करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2019–24 में इस योजना को पुनः लागू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से नवीन एवं विद्यमान उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद तथा मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स) कोर सेक्टर सहित, राज्य के दिव्यांगों को स्थायी नौकरी देने प्रोत्साहित होंगे।

2– **नियम :–**

यह नियम **"छत्तीसगढ राज्य दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2019"** कहे जावेंगे ।

3– **प्रभावी दिनांक:–**

यह नियम दिनांक **1 नवंबर 2019** से **31 अक्टूबर 2024** तक प्रभावशील रहेंगे ।

4– **परिभाषाऍं :–**

4.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, कोर सेक्टर एवं अन्य बिन्दुओं की वहीं परिभाषाएँ होंगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 पर अंकित हैं ।

4.2 "स्थायी नौकरी" से आशय वही है जो औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत परिभाषित "स्थायी रोजगार" का है।

4.3 "दिव्यांग/निःशक्त" से आशय वही है जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में "दिव्यांग/निःशक्त" के तहत् परिभाषित है।

4.4 "शुद्ध वेतन/शुद्ध पारिश्रमिक" से आशय है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया गया मूल वेतन+महंगाई भत्ता।

5– **पात्रता :–**

(1)– इस योजना के अन्तर्गत निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशक/ महिला उद्यमी/एफपीओं/तृतीय लिंग/ महिला स्व सहायता समूह/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित निवेश के आकार की दृष्टि से वर्गीकृत पात्र उद्योगों (औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 अन्तर्गत संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को (औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–5 के अन्तर्गत कोर सेक्टर उद्योगों के मामले में केवल नवीन उद्योग हेतु अनुमत) अनुदान की पात्रता होगी।

(2)– इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि तक की जाएगी। निःशक्त वर्ग को स्थायी नौकरी दिये जाने के पश्चात न्यूनतम आगामी 5 वर्ष की अवधि तक नौकरी पर रखा जाना अनिवार्य होगा।

(3)– पात्र नवीन एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को प्रथम क्लेम इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

निःशक्त वर्ग को प्रथम बार स्थायी नौकरी दिये जाने के पश्चात् यदि पश्चात्वर्ती अवधि में निःशक्त वर्ग को पुनः नियुक्ति दी जाती है तो ऐसी नियुक्ति के छः माह के भीतर केवल सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।

(4)– उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/ प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों को तब तक रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक है, जब तक निःशक्तों को स्थायी नौकरी पर रहते हैं ।

(5)– इस अधिसूचना के अन्तर्गत 1 नवम्बर 2019 के पूर्व जिन विद्यमान उद्योगों में निःशक्त व्यक्तियों को स्थायी नौकरी में रखा गया है, उन्हें पात्रता नहीं होगी किन्तु इस तिथि के पश्चात् यदि निःशक्त व्यक्तियों को स्थायी नौकरी देने की संख्या में वृद्धि की जाती है तो उन्हें बढ़ायी गई स्थायी नौकरियों की संख्या पर अनुदान की पात्रता होगी।

6– **अनुदान की दर व मात्रा :–**

सामान्य वर्ग/एफपीओ श्रेणी के उद्योगो हेतु :–

क्षेत्र	दर व मात्रा
औद्योगिक दृष्टि से विकसित, विकासशील, पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में **(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 के अनुसार)**	शुद्ध वेतन / पारिश्रमिक का 40 प्रतिशत, अधिकतम राशि रू. पांच लाख वार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक

टीप :–

6.1 इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष में निःशक्त कर्मचारियों को दिये गये शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक के आधार पर क्लेम किया जावेगा । पश्चात्वर्ती क्लेम भी वित्तीय वर्ष के आधार पर किये जावेंगे।

6.2 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ प्रारंभ करने वाले निवेशकों को 45 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 5.25 लाख वार्षिक, 5 वर्ष तक अनुदान देय होगा।

6.3 अनुसूचित जाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, महिला स्व सहायता समूह, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 5.50 लाख वार्षिक, 5 वर्ष तक अनुदान देय होगा।

6.4 नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 5.50 लाख वार्षिक, 5 वर्ष तक अनुदान देय होगा।

6.5 यदि कोई इकाई उपरोक्तानुसार दो या अधिक श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में सामान्य वर्ग के उद्यमी की तुलना में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।

7– **<u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>**

7.1 पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध– उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मय फोटो के

(4) उपाबंध–2 अनुसार वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पत्रक।

(5) नियुक्ति आदेश की प्रतियां मय फोटोग्राफ।

(6) उपाबंध–1 के निर्धारित प्रारूप पर नोटराईज्ड शपथ पत्र।

7.2 अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, प्रकरण में कमियॉ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांकित बिन्दु क्र. 7.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी।

7.3 निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भी निजी औद्योगिक इकाईयों में स्थायी नौकरी दिये जाने हेतु संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में आवेदन दिये जा सकेंगे ।

संबंधित महाप्रबंधक उक्त आवेदनों को आवेदक की वांछा अनुसार औद्योगिक इकाई में अथवा जहां वह उपयुक्त समझे स्थायी नौकरी देने हेतु आवेदन प्रेषित कर सकेगा।

7.4 यह आवश्यक होगा कि वह निःशक्तों को स्थायी नौकरी देने के लिए सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उपरोक्त से भिन्न प्रकरणों में आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय को अभिस्वीकृति हेतु आवेदन करेगा तथा अनुमति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही पूर्ण करेगा।

7.5 औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात तथा निःशक्तों को स्थायी नौकरी देने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक त्रैमास के लिए आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.6 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में परीक्षण एवं निरीक्षण उपरांत नियमानुसार होने पर **"उपाबंध 3"** में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

उपरोक्त से भिन्न प्रकरणों में अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का परीक्षण कराकर, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जावेगा। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा ।

7.7 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/ 2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

7.8 स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा निःशक्त अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

7.9 अनुदान की राशि अग्रिम रूप से भी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आबंटित की जा सकेगी।

7.10 बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा । अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जावेगी ।

7.11 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

8– **"निःशक्त रोजगार अनुदान" की वसूली :–**

(1)– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी ।

(2)– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)– औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात् समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा तथा इस दौरान अपने उद्योग में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार बिन्दु 5(4) अनुसार दिया जाना होगा, अन्यथा अनुदान वसूली योग्य होगा।

(4)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी।

(5)– औद्योगिक इकाई द्वारा यदि अभिस्वीकृत संख्या के निःशक्तों को रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण निःशक्तों हेतु अभिस्वीकृत स्थायी नौकरी की संख्या से कम हो जाता है तो पूर्व में भुगतान किये गये अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी।

9– **अपील / वाद :–**

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी तथा अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क प्रत्येक स्तर पर रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में प्रत्येक स्तर पर रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा / जमा किया जावेगा ।

9.5– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

10– **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव / सचिव / उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें। ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– **कार्यकारी निर्देश :–**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त / उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त / संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

12– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

14– **योजना का क्रियान्वयन**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

शपथ पत्र

1– यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :–

1.1 औद्योगिक नीति 2019–24 एवं छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व–प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है ।

2– निःशक्त व्यक्ति न्यूनतम 5 वर्ष तक स्थायी नौकरी में रहेंगे तथा औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधान अनुसार, राज्य के मूल निवासियों को उक्त अवधि के लिए रोजगार प्रदान किया जावेगा।

3– यह भी घोषणा की जाती है कि इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात् समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखा जावेगा तथा इस दौरान अकुशल, कुशल एवं प्रशासकीय/ प्रबंधकीय वर्ग में न्यूनतम क्रमषः 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4– इकाई द्वारा भारत सरकार /राज्य शासन के अन्य किसी विभाग/ निगम/ मंडल/संस्था/ वित्तीय संस्थाओं से दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान प्राप्त नहीं किया है, न ही इस हेतु आवेदन किया है एवं न ही किया जावेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

उपाबंध– 2

नि:शक्त कर्मचारियों को त्रैमासिक भुगतान किया गया वेतन

क्र.	नि:शक्त कर्मचारी का नाम व पता	पदनाम	कर्मचारी भविष्यि नधि खाता क्र.	शुद्ध मासिक वेतन			कार्यरत् अवधि		आवेदित त्रैमास का कुल भुगतान	वित्तीय वर्ष का शुद्ध वेतन
				कर्मचारी का मासिक मूल वेतन	महंगाई भत्ता	योग	संबंधित त्रैमास में कार्यदिवस	5 वर्ष की अवधि में अब तक कुल कार्यावधि (वर्ष / माह)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नि:शक्त कर्मचारियों को त्रैमासिक भुगतान किया गया वेतन के प्रमाण स्वरूप सत्यापित दस्तावेज एवं प्राप्ति संबंधी जानकारी दी जाना आवश्यक होगी।

उपाबंध–3

(नियम 7.6)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय

छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2019 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2019** के नियम **क्रमांक "7.6"** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विद्यमान) :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– निःशक्त कर्मचारियों को दिया गया कुल त्रैमासिक शुद्ध वेतन :

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /
अपर संचालक/ संयुक्त संचालक
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़